राजस्व रिविजन क्रमांक .... / 2018

प्रस्तुति दिनांक 26 / 02 / 2018

(72)

रा.रा. श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा/2018/1364

1. गौरीशंकर पिता स्व. मंगत पाटीदार
निवासी—ग्राम पिपरी तहसील व जिला
खरगोन {म.प्र.}

2. श्रीमती सीताबाई पति स्व. मंगत पाटीदार {पति कालूराम}
निवासी—ग्राम नारायणपुरा, तहसील व जिला
खरगोन {म.प्र.} ———रिविजनकर्ता

विरूद्ध

1. भगवान पिता स्व. मंगत पाटीदार
निवासी—ग्राम पिपरी तहसील व जिला
खरगोन {म.प्र.}

2. श्रीमती नीलूबाई पिता स्व. मंगत पाटीदार {पति बद्रीलाल}
निवासी—ग्राम टेमला तहसील व जिला
खरगोन {म.प्र.} ———विपक्षीगण

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत्

रिविजनकर्तागण की और से निवेदन है कि :—

यह कि, माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर {श्रीमती वंदना वेद} द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 0337 / अपील / 2017—18 में दिनांक 01 / 02 / 2018 को दिये गये आदेश से असंतुष्ट होकर यह रिविजन सादर प्रस्तुत है।

—: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि, रिविजनकर्ता एवं विपक्षीगण के पिता स्व. मंगत पाटीदार के हक मालिकी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम गवला की खाता क्रमांक 180 सर्वे नंबर 350, 353 एवं 354 कुल रकबा 5.990 हेक्टेयर की भूमि मंगत के नाम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2018/1364

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 के अन्तर्गत 1 वर्ष से अधिक अवधि की त्रुटि सुधारने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भूल नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	